भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1957

जिसका उत्तर 30.07.2026 को दिया जाना है

गोरखपुर-सिलिगुड़ी एक्सप्रेसवे का संरेखण

1957. श्रीमती लवली आनंद:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बिहार के शिवहर जिले में धनकौल चौक के पास प्रस्तावित गोरखपुर-सिलिगुड़ी एक्सप्रेसवे के वर्तमान संरेखण से बड़ी संख्या में आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां प्रभावित हो रही हैं;

(ख) क्या दिसंबर, 2025 के सर्वेक्षण में धनकौल बांध की दक्षिण ओर से एक्सप्रेसवे का वैकल्पिक संरेखण प्रस्तावित किया गया था, जिससे लोगों के नुकसान और विस्थापन को कम किया जा सकता था;

(ग) यदि हां, तो वर्तमान संरेखण में परिवर्तन किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार द्वारा स्थानीय जनहित, न्यूनतम विस्थापन और पहले से प्रस्तावित संरेखण को ध्यान में रखते हुए मार्ग पर पुनर्विचार किये जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) गोरखपुर-सिलीगुड़ी प्रवेश-नियंत्रित हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के संरेखण को विकल्पों के विस्तृत विश्लेषण और हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया के बाद अंतिम रूप दे दिया गया है। राज्य सरकार ने भी विचार-विमर्श के बाद इस संरेखण को सहमति दे दी है। इसके अलावा, एक पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने शिवहर जिले सहित कई स्थानों का वास्तविक निरीक्षण किया, ताकि संरेखण मार्ग पर स्थित भूमि के प्रकार, आवासीय संरचनाओं और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का मानचित्रण किया जा सके।

गोरखपुर-सिलीगुड़ी प्रवेश-नियंत्रित हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के संरेखण को 4 अप्रैल 2025 को हुई संरेखण अनुमोदन समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया था। हालांकि, यह पाया गया कि शिवहर के पास प्रस्तावित संरेखण नई प्रस्तावित रेलवे लाइन से ओवरलैप हो रहा है और रेलवे लाइन के टकराव से बचने के लिए, धनकौल धाम के पास थोड़ा सा संरेखण बदलने का प्रस्ताव दिया गया है। तथापि आवासीय या व्यावसायिक संरचनाओं के अधिग्रहण को कम से कम करने का पूरा ध्यान रखा गया है।
